प्रेस -नोट

थाना नवाबाद

दिनाँक 15.01.2026

- **जनपद झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही**
- **थाना नवाबाद पुलिस द्वारा नाबालिग एवं विकलांग बच्चों से भिक्षावृत्ति करवाने वाला अपराधी गिरफ्तार,**
- **गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर जिला कारागार झाँसी में निरुद्ध किया गया,**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में दिनाँक 14.01.2026 अभियुक्त द्वारा बिना किसी लोक सेवक पद के उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रतीक चिन्ह रुपी टोपी को धारण करते हुए व अपनी गलत पहचान बताना व अपने साथी अभियुक्तगण के साथ नाबालिक एवं विकलांग बच्चों से भिक्षावृत्ति करवाने के सम्बन्ध मे आज दिनांक 15.01.2026 को आवेदक उपेंद्र बबेले पुत्र श्री कृष्ण कुमार बबेले, निवासी- नैनागढ़, थाना- प्रेमनगर, जनपद- झांसी द्वारा थाना नवाबाद पर दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर अभि0 आशिफ खान पुत्र एनुल खान उम्र 37 वर्ष, निवासी- 1287/6 सिविल लाइन, रौनक सर्विस सेंटर के पास, थाना- नवाबाद, जनपद- झांसी व उसकी अज्ञात साथी अभियुक्तागण के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 35/26 धारा 347(2) बीएनएस व 24(1) जे0जे0 एक्ट पंजीकृत किया गया जिसके पश्चात थाना स्थानीय पर पूर्व से पूछताछ हेतु लाये गये अभियुक्त आशिफ खान पुत्र एनुल खान उपरोक्त के द्वारा किये गये अपराध के सम्बन्ध में दौराने जाँच प्रथमदृष्टया घटना में सत्यता पाई गई। जिसके द्वारा किये गये इस प्रकार के कृत्य से आमजन में आक्रोश व्याप्त है। अभियुक्त आशिफ खान उपरोक्त को जमानत पर रिहा किये जाने पर शांति व्यवस्था भंग होने सम्बन्धी पूर्ण संभावना है। चूंकि क्राफ्ट मेला वर्तमान समय में भी लगा हुआ है एवं अभियुक्त द्वारा रिहा होने के पश्चात पुन: संज्ञेय अपराध कारित करने की प्रबल सम्भावना होने के कारण अभियुक्त उपरोक्त को आज दिनांक 15.01.2026 को समय करीब 13.40 बजे अन्तर्गत धारा 170 BNSS में हिरासत पुलिस में लिया गया। जिसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुये अभियुक्त को माननीय न्यायालय श्रीमान नगर मजिस्ट्रेट, झांसी के समक्ष पेश कर जिला कारागार झांसी निरुद्ध किया गया।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास – मु0अ0सं0 35/26 धारा 347(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 व 24(1) जे0जे0 एक्ट थाना नवाबाद जिला झांसी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रवि श्रीवास्तव थाना नवाबाद जनपद झाँसी
2. उ0नि0 श्री रामकरन थाना नवाबाद जनपद झाँसी
3. हे0का0 273 जितेन्द्र कुमार थाना नवाबाद जनपद झाँसी